यातायात पुलिस जनपद बिजनौर

🚨 बिजनौर पुलिस की जन-जागरूकता अपील 🚨

"बिजनौर पुलिस की पहल, समाज की भागीदारी — सुरक्षित जनपद की जिम्मेदारी"

🙏 प्रिय नागरिकों, सड़क पर चलना केवल एक जरूरत नहीं,बल्कि एक जिम्मेदारी है। आपकी छोटी सी लापरवाही किसी की ज़िंदगी छीन भी सकती है और आपकी सतर्कता कई परिवारों को मुस्कान भी दे सकती है।

📌 कृपया इन बातों का पालन करें:-

🚫 ओवरटेक न करें – **कुछ सेकंड की जल्दी आपको जीवनभर का पछतावा दे सकती है।**

🔃 लेन जम्प न करें – **यह न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह हादसों को न्योता देता है।**

🚶 पैदल चलने वालों का सम्मान करें – **सड़क पर हर व्यक्ति की जान की कीमत बराबर होती है।**

👂 पीछे से आ रहे वाहन का ध्यान रखें – **हॉर्न और इंडिकेटर पर ध्यान देना ज़रूरी है।**

🛑 सिग्नल, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और हेलमेट सीट बेल्ट के नियमों का पालन करें – **ये कानून नहीं, जीवन रक्षा के सूत्र हैं।**

🌟 बिजनौर पुलिस का संकल्प:-

"हर नागरिक को सुरक्षित देखना हमारा धर्म है, लेकिन सुरक्षा तभी संभव है, जब आप भी हमारे साथ चलें।"

📣 आइए, समाज को एकजुट करें।

एक जिम्मेदार नागरिक बनें, दूसरों को भी प्रेरित करें। सड़क पर समझदारी दिखाएं, ताकि किसी के घर का चिराग न बुझे।

🙏 *आपकी सुरक्षा – हमारी प्राथमिकता* 🙏

👮 बिजनौर पुलिस – सेवा, सुरक्षा, सहयोग के लिए तत्पर 👮

प्रेस नोट–जनपद बिजनौर दिनॉक 30.04.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 15.05.2023 को अभियुक्तगण सरवर अली उर्फ साजन पुत्र मौ0 मुखबिल निवासी विष्णु विहार थाना बिंदापुर जनपद दक्षिण पश्चिम दिल्ली आदि 04 नफर के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 430/23 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.04.2025 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-06 द्वारा अभियुक्त सरवर अली उर्फ साजन पुत्र मौ0 मुखबिल निवासी विष्णु विहार थाना बिंदापुर जनपद दक्षिण पश्चिम दिल्ली को धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम में 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

सरवर अली उर्फ साजन पुत्र मौ0 मुखबिल निवासी विष्णु विहार थाना बिंदापुर जनपद दक्षिण पश्चिम दिल्ली

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना हल्दौर **दिनांक-30.04.2025**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 108/2025 धारा 103(1)/115(2)/352/3(5)/131/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2025 को अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र आनन्दपाल 2.हरदीप पुत्र आनन्दपाल 3.दिव्यांशू पुत्र हरदीप समस्त निवासीगण ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर यशपाल सिंह पुत्र होरी सिंह निवासी उपरोक्त के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डन्डों से मारपीट की गयी, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया तथा यशपाल उपरोक्त परिजनों द्वारा उसे उपचार हेतु विवेक हॉस्पिटल नूरपुर में भर्ती कराया गया, जहां दिनांक 28.04.2025 को यशपाल उपरोक्त की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

इस संबंध में दिनांक 28.04.2025 को वादिनी श्रीमति अंजू देवी पत्नी यशपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0स0 108/25 धारा 108/2025 धारा 103(1)/115(2)/352/3(5)/131/351(3) बीएनएस बनाम राहुल आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही का विवरण

आज दिनांक 30.04.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हरदीप पुत्र आनन्दपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त डण्डें सहित गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हरदीप पुत्र आनन्दपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार बैंसला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

3.का0 1908 रोहित शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

4.का0 47 मौ0 तालिम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ दिनांक – 30.04.2025

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर व चोरी का एक रुटावेटर किया बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 22.03.2025 को वादी श्री अवनीश पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम जटपुरा महावतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी व वादी के पडोस में रहने वाले नवनीत का रुटावेटर चोरी किया गया है। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 85/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त इदरीश पुत्र अली मौ0 निवासी ग्राम मासूमपुर पोस्ट राजपुर केसरिया ठाकुरद्वारा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद व अभियुक्त जीशान पुत्र रिफाकत निवासी ग्राम चान्दखेडी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश मे आया।

उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये व वांछित अभियुक्त इदरीश उपरोक्त के बारे मे जानकारी की तो अभियुक्त इदरीश एक शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है। अभियुक्त इदरीश उपरोक्त को थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 10.04.2025 को थाना भोजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 134/2025 धारा 331(5)/331(7)/305 बीएनएस में जिला कारागार मुरादाबाद मे भेजा गया था।

कार्यवाही का विवरण -

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से अनुरोध कर अभियुक्त इदरीश पुत्र अली मौ0 निवासी ग्राम मासूमपुर पोस्ट राजपुर केसरिया ठाकुरद्वारा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद का दिनांक 30.04.2025 से 24 घंटे का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त इदरीश उपरोक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछकर कर, अभियुक्त की निशादेही पर रामगंगा नदी के किनारे खेत के पास झाड झाडियों से रूटावेटर जॉन डियर कम्पनी रंग हरा व घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर स्वराज 744 न0 UP21CJ 9835 जो मौ0 इदरीश एण्ड नगमा बेगम के नाम आ रहा है ,को बरामद किया गया तथा दूसरे रूटावेटर के बारे में जानकारी की गयी तो दूसरे रूटावेटर के बारे में अभि0 इदरीश ने बताया कि दि0 18/19.03.2025 की रात्रि को वह और उसका साथी जीशान दो ट्रैक्टर स्वराज कम्पनी के लेकर आये थे जिसमें एक ट्रैक्टर उसका था जो आज उसने बरामद करा दिया है तथा दूसरा ट्रैक्टर जीशान लेकर आया था वो भी स्वराज कम्पनी रंग नीला ही था उसके नम्बर की उसे जानकारी नही है। जीशान ने भी वह ट्रैक्टर व रूटावेटर कहां छुपा दिया है उसे जानकारी नही है।

उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जीशान उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों को गठन किया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

इदरीश पुत्र अली मौ0 निवासी ग्राम मासूमपुर पोस्ट राजपुर केसरिया ठाकुरद्वारा थाना डिलारी मुरादाबाद **(हिस्ट्रीशीटर अपराधी)**

बरामदगी का विवरण –

एक ट्रैक्टर व एक रुटावेटर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1- मु0अ0स0 406/2016 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

2- मु0अ0स0 304/2018 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना डिलारी जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 58/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

4- मु0अ0सं0 273/2021 धारा 380, 411, 413, 414 भादवि थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

5- मु0अ0सं0 33/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

6- मु0अ0सं0 355/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

7- मु0अ0सं0 85/2025 धारा 303(2) /317 बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

8- मु0अ0सं0 134/2025 धारा 305(a)/307/331(5)/331(7) बीएनएस थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

पुलिस टीम का विवरण:-

1- थाना प्रभारी श्री सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2- उ0नि0 मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3- आरक्षी आकाश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

4- आरक्षी कृष्ण राणा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

5- आरक्षी प्रमोद कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

6- आरक्षी अरुण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

BIJNOR POLICE

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

माह अप्रैल- 2025

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह अप्रैल में कुल-61 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह अप्रैल में कुल–61 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा
1	कोतवाली शहर	171 /25	137(2), 65(1) बीएनएस व 3/4(2) व पोक्सो एक्ट
2	कोतवाली शहर	1005 /24	87 बीएनएस
3	कोतवाली शहर	1017 /24	87 बीएनएस
4	कोतवाली शहर	347 /25	87 बीएनएस
5	कोतवाली शहर	334 /25	137(2) बीएनएस
6	कोतवाली शहर	270 /25	137(2) बीएनएस
7	कोतवाली शहर	227 /25	137(2) बीएनएस
8	कोतवाली शहर	313 /25	137(2), 351(2) बीएनएस
9	कोतवाली शहर	363 /25	137(2) बीएनएस
10	हल्दौर	80 /25	137(2), 3(5), 61(2), 351(2) बीएनएस
11	हल्दौर	81 /25	137(2) बीएनएस
12	हल्दौर	103 /25	137(2) बीएनएस
13	मण्डावर	49 /25	137 (2) बीएनएस
14	नजीबाबाद	108 /25	137(2) बीएनएस व 5 जी/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एस सी एस टी एक्ट व 67 ए आईटी एक्ट
15	नजीबाबाद	97 /25	64(1), 137(2), 351(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट व 67 के आईटी एक्ट
16	नजीबाबाद	125 /25	137(2) बीएनएस
17	किरतपुर	77 /25	137(2) बीएनएस

18	किरतपुर	65 /25	87 बीएनएस
19	किरतपुर	74 /25	87 बीएनएस
20	किरतपुर	82 /25	87 बीएनएस
21	नांगल	59 /25	87 बीएनएस
22	चांदपुर	214 /25	137(2) बीएनएस
23	चांदपुर	213 /25	87 बीएनएस
24	नूरपुर	112 /25	87 बीएनएस
25	नूरपुर	486 /24	87, 115(2) बीएनएस
26	नूरपुर	89 /25	87, 352, 351(2) बीएनएस
27	नूरपुर	79 /25	137(2) बीएनएस
28	नूरपुर	106 /25	87 बीएनएस
29	नूरपुर	147 /25	137(2) बीएनएस
30	नगीना	43 /25	87 बीएनएस
31	नगीना	62 /25	137(2) बीएनएस
32	नगीना	64 /25	137(2) बीएनएस
33	नगीना	66 /25	137(2) बीएनएस
34	कोतवाली देहात	61 /25	137(2) बीएनएस
35	कोतवाली देहात	81 /25	74, 137(2) बीएनएस
36	बढापुर	43 /25	137(2) बीएनएस
37	बढापुर	51 /25	87 बीएनएस
38	नगीना देहात	94 /25	87 बीएनएस
39	नगीना देहात	79 /25	137(2) बीएनएस
40	नगीना देहात	86 /25	87 बीएनएस
41	नगीना देहात	87 /25	87 बीएनएस
42	नगीना देहात	88 /25	87 बीएनएस
43	नगीना देहात	91 /25	87 बीएनएस
44	धामपुर	145 /25	87 बीएनएस
45	धामपुर	128 /25	87 बीएनएस
46	धामपुर	137 /25	87 बीएनएस
47	धामपुर	139 /25	87 , 61(2) बीएनएस
48	धामपुर	147 /25	87 बीएनएस
49	स्योहारा	64 /24	366 भादवि
50	स्योहारा	86 /25	87 बीएनएस
51	स्योहारा	109 /25	87, 61(2) बीएनएस
52	स्योहारा	104 /25	137(2) बीएनएस
53	नहटौर	70 /25	137 (2) बीएनएस
54	नहटौर	84 /25	87 बीएनएस
55	नहटौर	67 /25	137(2) बीएनएस
56	नहटौर	102 /25	137(2) बीएनएस
57	अफजलगढ	99 /25	137(2) बीएनएस
58	शेरकोट	70 /25	87 बीएनएस
59	शेरकोट	72 /25	87 बीएनएस
60	रेहड	29 /25	87 बीएनएस
61	रेहड	32 /25	87 बीएनएस

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 30.04.2025**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 94/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.04.2025 को समय करीब 18:30 बजे थाना प्रभारी, किरतपुर को ग्राम रामपुर आशा के जंगल में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर एक व्यक्ति का शव मिला जिसे पीठ और हाथ पर गोली लगी थी। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किये गये। मौके पर मौजूद सूचनाकर्ता ने बताया कि लगभग 5 बजे उसने 3 व्यक्तियों को एक बाइक पर आते देखा था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर उसने खेत मालिक को सूचना दी जो लगभग आधे घंटे में मौके पर पहुँचे और दो लड़कों को एक मोटरसाइकिल से भागते देखा। मृतक की शिनाख्त फारुख पुत्र हसीनुद्दीन निवासी मौ0 ढोलकियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के रुप में हुई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी।

घटना के सम्बंध में मृतक के बडे भाई / वादी श्री नईम ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि 1.मेहरबान पुत्र अहसान व 2.उमर पुत्र जुल्फुकार निवासीगण मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर एक राय होकर वादी के भाई को मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गये थे, जिन्होने वादी के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 94/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण मेहरबान पुत्र अहसान व उमर पुत्र जुलफुकार निवासीगण मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 30.04.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता अमरीन पत्नी फारूख निवासी ढोलकियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है तथा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

अमरीन पत्नी फारूख निवासी ढोलकियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थाना प्रभारी श्री विरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.का0 प्रवेन्द्र तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.म0का0 385 ज्योति नरवाल थाना किरतपुर बिजनौर
4.म0का0 2402 कामिनी थाना किरतपुर बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 30.04.2025**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण (एक घायल अवस्था में) को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र / मोटरसाइकिल / पत्थर व मृतक की मोटरसाइकिल / मोबाइल फोन आदि बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.04.2025 को समय करीब 18:30 बजे थाना प्रभारी, किरतपुर को ग्राम रामपुर आशा के जंगल में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर एक व्यक्ति का शव मिला जिसे पीठ और हाथ पर गोली लगी थी। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किये गये। मौके पर मौजूद सूचनाकर्ता ने बताया कि लगभग 5 बजे उसने 3 व्यक्तियों को एक बाइक पर आते देखा था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर उसने खेत मालिक को सूचना दी जो लगभग आधे घंटे में मौके पर पहुँचे और दो लड़कों को एक मोटरसाइकिल से भागते देखा। मृतक की शिनाख्त फारुख पुत्र हसीनुद्दीन निवासी मौ0 ढोलकियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के रुप में हुई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी।

घटना के सम्बंध में मृतक के बडे भाई / वादी श्री नईम ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि 1.मेहरबान पुत्र अहसान व 2.उमर पुत्र जुल्फुकार निवासीगण मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर एक राय होकर वादी के भाई को मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गये थे, जिन्होने वादी के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 94/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

दिनांक 29.04.2025 को थाना किरतपुर पुलिस व स्वाट / सर्विलांस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्तगण कस्बा किरतपुर से बिजनौर की ओर जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कस्बा किरतपुर में नजीबाबाद फाटक के आगे अमन कालोनी के पास अभियुक्तों की घेराबन्दी कर पकडने का प्रयास किया तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिससे एक गोली आरक्षी राहुल सैनी के दाहिनी बाजू से होकर निकल गयी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त को दाहिने पैर में गोली लगी, जिसने पूछताछ में अपना नाम मेहरबान पुत्र अहसान निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर बताया, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा इसके अन्य साथी उमर पुत्र जुल्फुकार निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को भी गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त मेहरबान व आरक्षी राहुल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 मिस कारतूस व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर, अभियुक्त मेहरबान की मोटरसाईकिल पैशन प्रो सिल्वर रंग रजि0 नं0 UP20CQ9046, पत्थर, मृतक फारूख की मोटर साईकिल पैशन प्रो ब्लैक रंग रजि0 नं0 UP20AS5788, मतृक का फोन वीवो रंग नीला, एक लेडीज अंगुठी (पीली धातु) बरामद किया गया। पुलिस मुठभेढ के सम्बंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 96/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मेहरबान का मृतक फारूख की पत्नी अमरीन से पिछले लगभग 05 वर्ष से प्रेम-प्रसंग था, जिसकी जानकारी फारूख को थी। इसी बात को लेकर फारूख अपनी पत्नी अमरीन के साथ अक्सर मारपीट करता था, जिससे अमरीन अपने पति फारूख से परेशान रहती थी और वह अभियुक्त मेहरबान के साथ रहने की जिद करती थी। इसी बात को लेकर मेहरबान ने अपने दोस्त उमर व अमरीन के साथ मिलकर फारुख की हत्या करने की योजना बनायी।

योजनानुसार दिनांक 28.04.2025 को मेहरबान व उमर, फारूख को बीयर पिलाने के बहाने जंगल में ले गये तथा फारूख की मोटर साईकिल को घटनास्थल से आधा किलोमीटर पहले खड़ा करवाकर तीनो मेहरबान की मोटरसाईकिल पर बैठकर जंगल में पहुँच गये। इसके बाद मेहरबान व उमर ने फारूख की पीठ पर पीछे से बारी – बारी से तमंचे से गोली मार दी, जिसमें से 02 गोली मृतक फारूख की कमर में लगी तथा उसके बाद वहीं पडे पत्थर से उसके हाथ व सिर पर वार किया तथा शव को खींचकर खेत किनारे झाडियों में फेंक दिया।

नोट – **विवेचनात्मक कार्यवाही से उक्त अभियोग में धारा 238/60(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्ता अमरीन पत्नी फारूख निवासी ढोलकियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.मेहरबान पुत्र अहसान निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.उमर पुत्र जुलफुकार निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

वांछित अभियुक्ता का नाम व पता –

अमरीन पत्नी फारूख निवासी ढोलकियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 मिस कारतूस व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर

घटना में प्रयुक्त अभियुक्त मेहरबान की मोटरसाईकिल पैशन प्रो सिल्वर रंग रजि0 नं0 UP20CQ9046

घटना में प्रयुक्त पत्थर

मृतक फारूख की मोटर साईकिल पैशन प्रो ब्लैक रंग रजि0 नं0 UP20AS5788

अभियुक्तों के दो मोबाइल फोन

मतृक का फोन वीवो रंग नीला

एक लेडीज अंगुठी (पीली धातु)

घटना के समय पहने कपडे (मृतक फारूख की मोटरसाइकिस से बरामद)

अभियुक्त मेहरबान का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 94/2025 धारा 103(1)/3(5)/238/60(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 96/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त उमर का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 415/2024 धारा 13 जी एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 94/2025 धारा 103(1)/3(5)/238/60(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.निरीक्षक श्री सचिन मलिक प्रभारी स्वॉट मय टीम जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष किरतपुर मय टीम जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 श्री विकास कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर